न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

सिलिंग प्रार्थना पत्र संख्या 12/19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1भंवरलाल पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण के कायम मुकामान – 1/1 राकेश कुमार शर्मा गोद पुत्र भंवरलाल 1/2 रूकमा देवी पत्नी भंवरलाल शर्मा 2नारायणलाल पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी		1राजस्थान सरकार 2किरणप्रभा पुत्री प्रतापसिंह 3प्रीतिसिंह पुत्री प्रतापसिंह 4राजलक्ष्मीशाह पुत्री प्रतापसिंह जातियान राजपूत निवासीगण कुचामनगढ तहसील कुचामन जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 की ओर से।

आदेश दिनांक 14-06-2019

1. संक्षिप्त में मामलें का तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय के सीलिंग प्रकरण सं. 4/16 (47/87) सरकार बनाम प्रतापसिंह में निर्णय दिनांक 19.04.2002 के विरूद्व राजस्व मंडल में अपील सं./सीलिंग/1042/2003 जिला नागौर भंवरलाल बनाम राज. सरकार प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.12.15 के द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.04.02 निरस्त करते हुए प्रकरण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदत्त करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश पारित करते हुए रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीयान द्वारा उजरदारी प्रार्थना पत्र मूल सीलिंग प्रकरण में दिनांक 02.05.19 को प्रस्तुत किया गया, साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में यह प्रार्थना पत्र प्रत्यास्थापन के लिये प्रस्तुत किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार कुचामन से प्रकरण से संबंधित सूचनायें मंगवाई गई। अप्रार्थी सं. 1 का जवाब दिनांक 10.05.19 को प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी खतौनी ग्राम कुचामन संवत 2054 से 2057 की पेश की गई तथा अप्रार्थी सं.1 द्वारा ग्राम कुचामन के साबिक खसरा नं. 429 हाल खसरा नं. 1638 से संबंधित जमाबंदी सवंत 2074 से 2077 की नकल, नामान्तरकरण सं. 1469 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, उक्त खसरे को राजकीय खाते में दर्ज करने से संबंधित निर्णय दिनांक 19.04.02 की प्रति तथा आराजी भूमि सरकारी खाते में दर्ज होने की तिथी से आदिनांक तक की उक्त भूमि से संबंधित गिरदावरी की नकले संवत 2058 से 2075 तक की प्रस्तुत की गई।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा बताया कि–

2(1). भंवरलाल के नाम खातेदारी दर्ज का नोट जमाबंदी संवत 2026–29 व 2030 से 33 में अंकित रहा है और जमाबंदी में भी उक्त नामान्तरकरण सं. 354 की प्रविष्टि दर्ज थी, जिसे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.02 की पालना में नामान्तरकरण सं. 1469 दिनांक 22.02.03 के तहत खातेदार का नाम की प्रविष्टि हटा दी गयी है।

2(2). माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा न्यायालय श्री राजस्व मंडल राजस्थान नागौर/सीलिंग/अपील सं. 1042/2003 भंवरलाल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

अपर कलक्टर, नागौर

दिनांक 17.12.15 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.04.02 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर प्रार्थी अपीलार्थीगण को अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश पारित कर अपील सं. 3069 व 3434/2003 नागौर में पारित निर्णय की प्रति के संदर्भ हेतु प्रेषित की गई है।

2(3). न्यायालय हाजा के न्यायालय में पारित गलत निर्णय के आधार पर कुचामन के खसरा नं. 429 हाल आराजी 1636, 1637, 1638 की कृषि भूमि के अधिकार अभिलेख में संवत 2030 के बाद अपीलार्थी द्वारा करवाये गये परिवर्तन अपील वाद की निरन्तरता होने के कारण लेस पेन्डिस के सिद्वान्त के आधार पर न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री एवं न्यायालय राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के आदेश के अधीन अपील सं. 1042/2003 अपास्त हो जाने के आधार पर स्वतः शून्य बलहीन प्रभावहीन होने के कारण निरस्त हो चुके है इस परिपेक्ष्य में धारा 144 सीपीसी के संबंध में विधि का भी यह सिद्वान्त है कि – The appellant is entitled to restitution notwithstanding anything which happened subsequently as the right to claim restitution is based upon the existence or otherwise of a decree in favour of the plaintiff at the time when the application for restitution was made. The principle of the doctrine of restitution is that on the reversal of a decree, the law impose an obligation on the party to the suit who received the benefit of the erroneous decree to make restitution to the other party for what he was lost. This obligation arises automatically on the reversal or modification of the decree and necessarily carries with the right to restitution of all that has been done under the erroneous decree; and the court in making restitution so bound to restore the parties, so far as they can be resorted, to the same position they were in at the time when the court its erroneous action had displaced them from. उक्त आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री के अपास्त हो जाने से प्रत्यास्थापना की जानी चाहिये।

2(4). वकील प्रार्थीगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मूल आदेश दिनांक 19.4.02 माननीय राजस्व मंडल द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा सीलिंग नियमों में अधिग्रहीत भूमि यदि किसी को आंवटन कर दी जाती है तो भी उसे धारा 144 सीपीसी के तहत मूल खातेदार को प्रत्यास्थापन किया जा सकता है तथा माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ का निर्णय 1980 आरआरडी 670 व इसके पश्चात वृहद पीठ का निर्णय 1980 आरआरडी 355 में स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया जा चुका है कि अधिग्रहण का आदेश अपास्त कर यदि प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई विचाराधीन है तो भी प्रत्यास्थापन (Restitution) की कार्यवाही की जावेगी तथा अपने कथन के समर्थन में उक्त नजीरे व 1966 SC 948 की ओर ध्यान दिलाया।

3. राजकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि नामान्तरकरण सं. 1469 के द्वारा आराजी गत खसरा नं. 429 हाल खसरा नं. 1638 रकबा 2.48 हैक्ट. भूमि सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 सरकार बनाम प्रतापसिंह में पारित निर्णय दिनांक 19.4.02 के द्वारा सिलिंग अधिशेष घोषित होने पर सिवाय चक दर्ज की गई है। उक्त निर्णय दिनांक 19.4.02 माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण भिजवाया गया। जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त भूमि को लेकर रिमाण्ड प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन रहते हुए आराजी को किसी अन्य को आंवटन किये जाने की कोई संभावना नही है तथा न ही इस प्रकरण में अत्यावश्यक कार्यवाही की जावे ऐसे कोई तथ्य भी नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिये।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मूल सीलिंग प्रकरण सं. 4/16 (47/87) (9/79) (नया कानून)

अपर कलक्टर, नागौर

सरकार बनाम प्रतापसिंह का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) नया कानून सरकार बनाम प्रतापसिंह के का.मु. में निर्णय दिनांक 19.04.2002 के द्वारा ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नं. 429 मि रकबा 2.48 हैक्ट. से वर्तमान खसरा नं. 1638 रकबा 2.48 हैक्ट. बनना नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल से प्रतीत होता है। उक्त भूमि को सीलिंग अधिशेष दिनांक 19.4.02 को घोषित की गई है। उक्त गत खसरा नं. 429 मि रकबा 2.48 हैक्ट. वर्तमान खसरा नं. 1638 रकबा 2.48 हैक्ट. भूमि अधिग्रहित होना तहसीलदार के जवाब से भी प्रकट है। नामान्तरकरण सं. 1469 के द्वारा उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया है। माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 17.12.15 के अनुसार इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.4.02 को निरस्त करते हुए मूल सीलिंग प्रकरण इस न्यायालय को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु रिमाण्ड किया गया है। जो पक्षकारो की सुनवाई में लम्बित है तथा वर्तमान में आराजी भूमि सिवाय चक दर्ज है। जिसको अन्य किसी को आवंटन की स्थिति में विवाद/मुकदमेबाजी बढने की आशंका भी बनी रहती है तथा आराजी भूमि यदि सीलिंग अधिग्रहण में आती है तो प्रार्थीगण वापिस देने हेतु सहमत भी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के लंबित रहने के दौरान रिकार्ड मे पूर्व स्थिति कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) सरकार बनाम प्रतापसिंह में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.12.15 को पारित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.04.02 को अपास्त कर दिया है। इस प्रकार अब इस न्यायालय के आदेश के आधार पर आराजी भूमि को लेकर पारित नामान्तरकरण का प्रभाव नही रहा है। जब मूल निर्णय ही अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है, तो प्रार्थीगण का 144 सी.आर.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर के संदर्भ में प्रकरण प्रत्यास्थापन के योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.04.2002 के तहत ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नं. 429 मि रकबा 2.48 हैक्ट. वर्तमान खसरा नं. 1638 रकबा 2.48 हैक्ट. भूमि नामान्तरकरण सं. 1469 जिसके द्वारा सिवाय चक दर्ज किया गया है, जिससे संबंधित नामान्तरकरण सं. 1469 से पूर्व की स्थिति अनुसार गत खसरा नं. 429 मि रकबा 2.48 हैक्ट. वर्तमान खसरा नं. 1638 रकबा 2.48 हैक्ट. भूमि हेतु राजस्व रेकर्ड में स्थिति पूर्ववत बहाल कर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावे। यह आदेश मूल सीलिंग प्रकरण के अध्याधीन रहेगा। आदेश की एक प्रति मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) सरकार बनाम प्रतापसिंह के साथ रखी जावे। पालना जारी हो।

6. आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर